शुद्धिपत्र

संख्या-291/2026/आई/1285705/23-1-26-23-1002(002)/222/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: 31 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में सेवरही नगर पंचायत बाईपास मार्ग का (लम्बाई 5.600 किमी0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054 में पत्र दिनांक 20.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश संख्या-286/2026/आई/**1285639/**23-1-26/001-23-1002(002)/222/2026, दिनांक 31.03.2026 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत **गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में जनपद कुशीनगर में सेवरही नगर पंचायत बाईपास मार्ग का (लम्बाई 5.600 किमी0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया है।

2- जनपद कुशीनगर के उक्त कार्य हेतु शासनादेश के स्तम्भ-3 में अंकित खण्ड/जनपद के नाम में प्रा0खं0 कुशीनगर के स्थान पर नि0खं0 कुशीनगर अंकित हो गया है।

3- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-286/2026/आई/**1285639/**23-1-26/001-23-1002(002)/222/2026, दिनांक 31.03.2026 में अंकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित नि0खं0 कुशीनगर के स्थान पर प्रान्तीय खण्ड, कुशीनगर पढ़ा जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2026 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-291/2026/आई/1285705(1)/23-1-26-23-1002(002)/222/2026-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।